न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी – प्रभा गौतम (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
006/2017(रा.प्रा.प.) (GCMS 2017/00112)	21.12.2017	05.02.2026

अनवान

मांगीलाल पिता जवाहरमल जाति जाट आयु वयस्क निवासी सण्डियारडा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

प्रार्थी

बनाम

1. मोहनलाल पिता ऊंकारलाल जाति भील आयु वयस्क निवासी सण्डियारडा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार कपासन जिला चित्तौड़गढ़ (राज0)

अप्रार्थीगण

उपस्थिति :–	छोगालाल जाट	प्रार्थी
	जाहिद रजा (अनुपस्थित)	अप्रार्थी संख्या 1
	भैरुलाल सालवी (राजकीय अधिवक्ता)	अप्रार्थी संख्या 2

राजस्व निगरानी अंतर्गत नियम 14(4) भू–आवंअन नियम 1970 विरुद्ध तहसीलदार कपासन एवं भू–आवंटन कमेटी कपासन बमिसल क्रमांक नील आवंटन दिनांक 15.07.1970 एवं नामान्तरकरण संख्या 58 दिनांक 17.07.1970

–:: निर्णय ::–

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है प्रार्थी ने एक प्रार्थना–पत्र अंतर्गत राजस्थान भू–राजस्व (कृषि–प्रयोजनार्थ भूमि का आवंटन) नियम 1970 के नियम 14(04) के अन्तर्गत खिलाफ अप्रार्थीगण के मौजा सण्डियारडा तहसील कपासन की बिलानाम आराजी नम्बर 65 रकबा 2 बीघा 8 बिस्वा भूमि आवंटन जिसका नामान्तरकरण संख्या 58 होकर दिनांक 17.07.1970 को स्वीकृत किया गया। उक्त आवंटन से व्यथित होकर आवंटन निरस्त कराये जाने बाबत् पेश किया गया।

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर विपक्षीगण को सूचना पत्र जारी किये गये। दिनांक 10.01.2018 अप्रार्थी संख्या 01 स्वयं हाजिर आये एवं उनकी ओर से उनके अधिवक्ता ने अधिकार पत्र पेश किया जो शामिल पत्रावली है। विपक्षी संख्या 2 की और से राजकीय अधिवक्ता हाजिर रहे। दिनांक 20.05.2022 विपक्षी संख्या 1 का जवाब बंद किया गया। संबंधित भू–आवंटन पत्रावली तलब की गई। इस पर तहसीलदार कपासन द्वारा पत्रांक/भू.अ./2019/1546 दिनांक 29.11.2019 से मौजा सण्डियारडा की नामान्तरकरण पंजिका

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्रेषित कर अवगत कराया गया है कि उक्त आवंटन पत्रावली की तलाशी करवाई गई, किन्तु रिकार्ड काफी पुराना होने से गहन तलाशी के उपरांत उपलब्ध नहीं हो सका है। तहसीलदार कपासना द्वारा प्रेषित पत्र शामिल पत्रावली होकर रिकार्ड पर है। प्रकरण में अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 सुनवाई दिनांक 20.05.2022, 14.09.2022, 11.11.2022, 03.07.2024, 25.07.2024, 14.08.2024, 11.09.2024 व 14.11.2025 को अनुपस्थित रहे। न्यायालय द्वारा सुनवाई का अवसर लगातार दिया जाता रहा। दिनांक 16.01.2026 को अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 01 के अनुपस्थित रहने से प्रकरण को सुनवाई हेतु रखा गया। इस पर हाजिर वकील प्रार्थी एवं राजकीय अधिवक्ता द्वारा की गई बहस पत्रावली सुनी गई।

सर्वप्रथम अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना–पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि विवादित आराजी मौजा सण्डियारडा तहसील कपासन की साबिक आराजी संख्या 65 रकबा 2 बीघा 8 बिस्व जिसके नवीन आराजी संख्या 110 रकबा 0.41 हैक्टेयर भूमि निगराकार के खातेदारी की आराजीयात से लगी हुई होकर निगराकार के पिता जवाहरमल व उनकी मृत्यु के पश्चात् निगरकार के कब्जे में चली आ रही थी, जिससे उक्त भूमि निगराकार के नियमन योग्य थी फिर भी अधीनस्थ भू–आवंटन कमेटी ने बिना जांच पडताल के विपक्षी संख्या 1 को आवंटित कर दी गई।

उक्त आराजीयात अन्य आराजीयात के साथ विपक्षी संख्या 1 के खातेदारी में दर्ज कर दी गई जबकि आवंटन दिनांक से आज दिनांक तक उक्त आराजीयात पर विपक्षी का कभी भी कब्जा नहीं रहा है, व वर्तमान में भी उक्त आराजीयात पर निगराकार ही काबिज होकर उपयोग–उपभोग करता चला आ रहा है। आवंटन के पश्चात् भी उक्त आवंटित आराजीयात निगराकार के कब्जे में होने से विपक्षी ने दिनांक 06.01.1984 को निगराकार के नाम पर इकरार नामा निष्पादित किया कि उक्त आराजीयात आपके की कब्जे में चली आ रही हैं। मेरे नाम पर गलत आवंटित हो गई हैं, फिर भी विपक्षी ने बदनियती पूर्वकम जबरन कब्जा लेने की नियत से विपक्षी संख्या 2 के कार्यालय में दिनांक 13.10.2017 को कब्जा दिलाये जाने का प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया जो प्रकरण संख्या 002/2017 दर्ज रजिस्टर किया जाकर 31.10.2017 को तारीख पेशी नियत की गई जिससे निगराकार को जानकारी हुई व निगराकार ने आवंट से संबंधित सभी दस्तावेजात की प्रतियां प्राप्त कर निगरानी प्रस्तुत की। अंत में प्रार्थना की गई कि निगरानी बहक निगराकार विरूद्ध विपक्षीगण स्वीकार फरमाया जाकर अधीनस्थ भू–आवंटन कमेटी कपासन द्वारा मौजा सण्डियारडा तहसील कपासन की साबिक आराजी संख्या 65 रकबा 2 बीघा 8 बिस्वा जिसके नवीन आराजी संख्या 110 रकबा 0.41 हैक्टेयर का आवंटन आदेश निरस्त फरमाया जावें। इसी ईश्तदुआ के साथ विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी बहस समाप्त की।

इस पर हाजिर राजकीय अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया गया कि प्रार्थीगण द्वारा निगरानी प्रार्थना–पत्र में माध्यम से विधिक तथ्यों के संबंध में उज्र/एतराज किया जाकर प्रकरण में विधिक तथ्यों को उठाया गया है एवं अधीनस्थ न्यायालय से मूल अभिलेख पत्रावली भी प्राप्त हो चुकी हैं, अतः प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

पर किया जाना विधि द्वारा प्रावधित है। अतः पत्रावली का निस्तारण गुणावगुण पर किये जाने की ईश्तदुआ की गई।

इस पर विद्वान राजकीय अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस पत्रावली में अधीनस्थ तहसीलदार कपासन से प्राप्त नामान्तरकरण पंजिका में से नामान्तरकरण संख्या 58 का अवलोकन कराया एवं बताया कि हस्तगत निगराधीन आवंटन आदेश तहसीलदार कपासन द्वारा दिनांक 14.07.1970 को नियमानुसार पारित किया जाकर पटवार हल्का दामाखेडा को आदेश की पालना हेतु तहरीर जारी की गई जो कि नामान्तरकरण पंजिका पर चस्पा है, एवं हल्का पटवारी द्वारा आदेशानुसार नामान्तरकरण दायर किया जिसका नक्शा ट्रेस नामान्तरकरण पर चस्पा है। प्रकरण में आवंटी द्वारा आवंटन शर्तो की पालना की गई जिससे तहसीलदार कपासन द्वारा नामान्तरकरण संख्या 198 दिनांक 12.03.1985 से आवंटी को खातेदारी अधिकार प्रदान किये जा चुके है। तहसीलदार कपासन द्वारा आवंटन के संबंध में संपादित कार्यवाही विधिक प्रावधानों के अध्यधीन की गई है एवं प्रकरण का गुणावगुण पर निर्णय किये जाने हेतु अनुरोध किया। इसी ईल्तजा के साथ विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस समाप्त की। हमने पत्रावली का आद्यौपांत अवलोकन किया। उभयपक्षकारान द्वारा की गई बहस पत्रावली का चिंनत-मनन किया। पत्रावली को वास्ते निर्णय रिजर्व किया गया।

पत्रावली वास्ते निर्णय प्रस्तुत हुई। हमनेपत्रावली का आद्यौपांत अवलोकन किया। साथ ही पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य दस्तावेज का अवलोकन/परिशीलन किया। उभयपक्ष द्वारा की गई बहस पत्रावली का चिंतन-मनन किया। पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई।

हमने तहसीलदार कपासन से प्राप्त नामान्तरकरण पंजिका में नामान्तरकरण संख्या 58 का अवलोकन किया। तहसीलदार कपासन द्वारा प्रकरण में अवगत कराया गया है कि आवंटन काफी पुराना है जिससे मूल आवंटन पत्रावली तलाश किये जाने के उपरांत भी नहीं मिली है। प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना-पत्र में अवगत कराया गया है कि उक्त भूमि आवंटन किये जाने हेतु विधिवत नहीं किया गया है। मूल आवंटन पत्रावली के अभाव में इन तथ्यों का परीक्षण किया जाना संभव नहीं है, किन्तु उभयपक्ष द्वारा इस तथ्य को स्वीकार किया गया है कि प्रकरण में आवंटी को सक्षम स्तर खातेदारी अधिकार प्रदान किये गये है। वक्त आवंटन भूमि गैर-खातेदारी हक के दर्ज हुई। आवंटन की शर्तों की पालना में गैर-खातेदार ने उक्त भूमि को कब्जा काश्त होने से खातेदारी हक प्राप्त किया। किसी भी आवंटन में खातेदारी अधिकार प्राप्त होना इस आशय की पुष्टि करता की आवंटित भूमि पर आवंटी का कब्जा है तथा आवंटी द्वारा आवंटन शर्तो की पूर्ण पालना की गई है। प्रार्थी के इस तथ्य को स्वीकार किया जाना कि आवंटी द्वारा आवंटन शर्तो की पालना की पालना नहीं की गई है, को स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। इसके साथ ही प्रार्थी की और से कोई ठोस दस्तावेजी साक्ष्य पत्रावली पर प्रस्तुत नहीं किये गये जिससे न्यायालय के समक्ष आवंटन की प्रक्रियात्मक त्रुटि परिलक्षित हो सके।

आवंटन के पश्चात् 50 वर्षो से अधिक की दीर्घ कालीन अवधि बाद भूमि आवंटन निरस्तगी के प्रार्थना-पत्र का कोई

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

पुख्ता अभिलेखीय आधार पत्रावली पर उपलब्ध नही है। आवेदन प्रस्तुत के 50 वर्षो से अधिक की दीर्घ कालीन अवधि वर्ष पूर्व भूमि का आवंटन कृषि प्रयोजनार्थ हुआ, जिस पर काश्त की जा रही है, एवं विपक्षी को खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके है।

हस्तगत प्रकरण में प्रार्थी द्वारा आवंटन के 50 वर्षो से अधिक की दीर्घ कालीन अवधि व्यतीत हो जाने के उपरांत प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया है, तथा इस दीर्घ कालीन विलम्ब के संबंध में प्रार्थी द्वारा किसी भी प्रकार से कोई कथन नहीं किया गया है। इसके साथ ही प्रार्थी का आराजी पर आवंटन से पूर्व ही कब्जा होना बताया गया है, ऐसी स्थिति प्रार्थी का उक्त कथन संदिग्ध प्रतीत होता है क्योंकि यदि वह विवादित भूमि पर काश्त कर रहा था तो आवंटन दिनांक के 50 वर्षो से अधिक की दीर्घ कालीन अवधि पश्चात् प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत नियम 14(04) को प्रस्तुत करने का क्या औचित्य था।

उक्त विवरण के अनुसार प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र मिथ्या आधार पर प्रस्तुत हुआ जो स्वीकार करने योग्य नहीं है। प्रार्थी द्वारा जो तथ्य प्रार्थना–पत्र में उठाए गए है वे पूर्ण रूप से मिथ्या है। आवंटी को भूमि का आवंटन विधिवत किया जाना प्रतीत होता है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र सारहीन व आधारहीन होने से खारिज किये जाने योग्य है। प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र अंतर्गत नियम 14(04) राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970 के सारहीन, बलहीन होने से खारिज किया जाना उचित प्रतीत होता है एवं विपक्षी का आवंटन यथावत रखा जाना उचित प्रतीत होता है।

उपर्युक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अंतर्गत नियम 14(04) राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970 को सारहीन, बलहीन व आधारहीन होने से खारिज किया जाता है। तहसीलदार कपासन से प्राप्त नामानतरकरण पंजिका मौजा सण्डियारडा मय निर्णय की प्रति के भिजवाई जावें। पत्रावली की गणना निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही के अभिलेखागार भिजवाई जावे।

यह निर्णय खुले न्यायालय में आज दिनांक **05.02.2026** को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(प्रभा गौतम)
अतिरिक्त कलक्टर,
(प्रशासन) चित्तौड़गढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official